

आतिथिक विभाग कलकत्ता
कोटपुर्वी (जयपुर)



निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।

वपनर हो।
 होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाता दाखिल
 जाकर पत्रावली खरिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार
 है। अतः पेशकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की
 अभिम कार्यवाही की जान का कोई आविश्य प्रतीत नहीं होता
 मन्सूख हो गया है तो प्रथमतः प्रकरण में किसी प्रकार की
 आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही
 में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थी
 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष
 न्यायालय राजस्थान बूच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं.
 अलाटमेंट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च
 विवाहित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया
 किया है। अब अपीलार्थी की ओर से पेशकार सरकार ने उक्त
 भू-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर
 प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवाहित भूमि का आवंटित
 रेस्पॉन्डेंट्स को भू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि
 अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर
 प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का
 हमने पेशकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दस्तावेजात पेश किये।
 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की
 का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में
 सम्बन्धित भू-आवंटन कर दिया जावे। अतः प्रकरण में
 निर्णय के परिपेक्ष में इस्लमत प्रकरण में वर्तित आराजी से
 राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित
 पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उक्तवानी छोड़ एवं अन्य वनाम
 उच्च न्यायालय राजस्थान बूच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट
 प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निर्वादन किया कि माननीय
 (नायब तहसीलदार कोटपुर्वी) ने उपस्थित होकर प्रथमतः
 होकर तहसीलदार कोटपुर्वी की ओर से पेशकार सरकार
 पत्रावली पेश कियी। उक्तपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लौड

विशेष विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक 206/2005
-------------	----------------------	-----------------